प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **40/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

नारायण सिंह शक्तावत पुत्र स्व. प्रताप सिंह पताः उम्मेदपुरा, पोस्ट–सारंगपुर(भीण्डर), तहसील–कानोड़, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/40/25/273–74 दिनांक 17.03.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं उपखण्ड अधिकारी भीण्डर द्वारा द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/अपील/2025/74 दिनांक 09.04.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 2, 4, 5, 7, 8 व 9 से संबंधित पत्रावली संधारित नहीं होने से सूचना शून्य है। बिन्दु संख्या 1, 6 व 10 के संबंध में तहसीलदार कानोड़ को इस कार्यालय के पत्रांक 29 दिनांक 06.02.25 से प्रेषित किया गया है। बिन्दु संख्या 3 के संबंध में सूचना के विशेष प्रावधान होने से कोर्ट मेन्युअल के अनुसार प्रतिलिपि आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु हेतु लिखा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 2, 4, 5, 7, 8 व 9 से संबंधित पत्रावली संधारित नहीं होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। बिन्दु संख्या 1, 6 व 10 के संबंध में तहसीलदार कानोड़ को उनके कार्यालय के पत्रांक 29 दिनांक 06.02.25 से प्रेषित किया गया। बिन्दु संख्या 3 के संबंध में सूचना के विशेष प्रावधान होने से कोर्ट मेन्युअल के अनुसार प्रतिलिपि आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

दौरान उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बादं कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-04-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर